



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19649

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1090/2026

अनीता सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:दिलीप कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार उपाध्याय और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीले सुनी गईं।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; इसलिए, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निपटारा प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह फरवरी 2015 से गाजीपुर में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल है; उसने गाजीपुर से मेरठ या हापुड़ स्थानांतरण की मांग करते हुए रिट-ए संख्या 18122/2025 दायर की थी। रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अभ्यावेदन 08.01.2026 को लखनऊ स्थित पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
4. इसी आदेश को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विवादित आदेश को केवल इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि रिट याचिकाकर्ता 2015 से गाजीपुर में तैनात है, जबकि उसके पति सहारनपुर जिले में तैनात हैं; और उसके दावे को खारिज करने के लिए केवल यही आधार दिया जा रहा है कि गाजीपुर में पुलिस कांस्टेबलों के 713 पद हैं, जिनमें से 289 पद अभी भी रिक्त हैं। दूसरा आधार यह दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने मेरठ या हापुड़ स्थानांतरण की मांग की है, जबकि उसके पति सहारनपुर में कार्यरत हैं; अतः, रिट याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार्य नहीं हो सकता, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने ऐसे स्थान पर स्थानांतरण की मांग नहीं की है जहाँ उसके

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पति पहले से कार्यरत हों। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के मामले पर सहारनपुर में तैनाती के लिए भी विचार किया जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि स्थिति चाहे जो भी हो, यदि रिट याचिकाकर्ता सहारनपुर स्थानांतरण की मांग करती है, तो वह प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) से संपर्क कर सकती है।

7. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

8. विरोधी पक्षों के निवेदनों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे; तीसरा प्रतिवादी, इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है, तो संबंधित कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

9. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

10. उपर्युक्त दिश्यावहियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”